न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 59/24

निर्णय दिनांक 22/8/24

सरकार जरिये

बनाम

श्री रतनलाल पि० भंवरलाल गुर्जर नि० बानोड़ा

पटवार हल्का उपनगर

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम बेगूं पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उपनगर ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री रतनलाल पि० भंवरलाल गुर्जर ने तहसील बेगूँ के ग्राम बानोड़ा में स्थित आराजी नम्बर 632 रकबा 0.32 किस्म चा.2 बिला० पर दोराने सम्वत् खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को मक्का फसल बोकर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षैत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम बानोड़ा में स्थित खसरा नम्बर 632 रकबा 0.32 किस्म चा.2 बिला० भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 9.00 रू. का 50 गुणा राशि 450/- रूपये आरोपित किये जाते है। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

तहसीलदार
बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार
बेगूँ